भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं. 6389**
दिनांक 02.04.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

**महाराष्ट्र में पीने के पानी की कमी**

**6389. डॉ. शिवाजी बंडाप्पा कालगेः**
**श्री निलेश ज्ञानदेव लंकेः**

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र में ऐसे ब्लॉकों की पहचान की है जो गिरते भूजल स्तर अथवा दूषित स्रोतों के कारण दीर्घकालिक पेयजल कमी का सामना कर रहे हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) महाराष्ट्र में ऐसी बहु-ग्राम जलापूर्ति योजनाओं की संख्या कितनी है जिनमें भूमि संबंधी समस्याओं, ठेकेदारों की विफलता अथवा सतत जल स्रोतों की कमी के कारण विलंब हुआ है;
(ग) क्या फ्लोराइड, आयरन, लवणता अथवा जीवाणुओं के कारण जल प्रदूषण से राज्यों के कुछ क्षेत्रों में पेयजल प्रभावित हो रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) ऐसे जल-संकटग्रस्त क्षेत्रों में बार-बार होने वाली जल कमी की समस्या के समाधान हेतु सरकार द्वारा प्रस्तावित विशेष उपायों का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) जल आपूर्ति और स्वच्छता विभाग, महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि केन्द्रीय भूजल बोर्ड द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार, महाराष्ट्र के 4 जिलों के 7 ब्लॉक अति-दोहित श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, 3 जिलों के 5 ब्लॉक गंभीर श्रेणी में आते हैं और 10 जिलों के 40 ब्लॉक अर्ध-गंभीर श्रेणी में आते हैं। अब तक संदूषित स्रोतों के कारण दीर्घकालिक पेयजल की कमी वाला कोई ब्लॉक नहीं है।

(ख) राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, महाराष्ट्र में कुल 1,790 बहु-ग्राम योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं, जिनमें से 28.03.2026 तक 595 योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। शेष 1,195 योजनाएं प्रगति पर हैं और कई कारणों से देरी हो रही हैं, जिनमें से जिला परिषद की 24 योजनाओं तथा महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण की 65 योजनाओं मुख्य रूप से भूमि के मुद्दों

के कारण देरी हो रही है। इसके अतिरिक्त, ठेकेदारों द्वारा धीमी प्रगति के कारण जिला परिषद की 5 योजनाओं और महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण की 35 योजनाओं में देरी हो रही है। स्थायी जल स्रोतों से संबंधित मुद्दों के कारण किसी बहु-ग्राम योजना में विलंब होने की सूचना नहीं है।

(ग) राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, राज्य के जल आपूर्ति और स्वच्छता विभाग द्वारा लवणता परीक्षण नहीं किया जाता है। फ्लोराइड और आयरन के कारण संदूषण क्रमशः 237 और 77 गांवों में पाया जाता है। इसके अलावा, यह सूचित किया गया है कि ई-कोलाई और कुल कोलीफॉर्म के कारण बैक्टीरियोलॉजिकल संदूषण क्रमशः 2597 और 4222 गांवों में पाया गया है।

राज्यों को सलाह दी गई है कि वे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मार्गदर्शन के लिए दिसंबर 2024 में जारी की गई 'ग्रामीण परिवारों को पाइपगत पेयजल आपूर्ति की जल गुणवत्ता की निगरानी हेतु संक्षिप्त पुस्तिका' के अनुसार उपचारात्मक कार्रवाई करें।

संदूषणों के लिए नियमित परीक्षण सहित परिवारों को आपूर्ति किए जाने वाले पाइपगत जल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जेजेएम के तहत निम्नलिखित तंत्र मौजूद हैं:

i) जल जीवन मिशन के तहत, मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, भारतीय मानक ब्यूरो के बीआईएस: 10500 मानकों को पाइपगत जलापूर्ति योजनाओं के माध्यम से आपूर्ति किए जा रहे जल गुणवत्ता के लिए बेंचमार्क के रूप में अपनाया जाता है।

ii) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जल गुणवत्ता के लिए पानी के नमूनों का परीक्षण करने में सक्षम बनाने और पेयजल स्रोतों के नमूना संग्रह, रिपोर्टिंग, निगरानी तथा पर्यवेक्षण हेतु एक ऑनलाइन जेजेएम-जल गुणवत्ता प्रबंधन सूचना प्रणाली (डब्ल्यूक्यूएमआईएस) पोर्टल विकसित किया गया है। डब्ल्यूक्यूएमआईएस के माध्यम से सूचित किए गए जल गुणवत्ता परीक्षण का राज्य-वार विवरण पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है और इसे निम्न लिंक पर देखा जा सकता है:

https://ejalshakti.gov.in/WQMIS/Main/report

iii) जल गुणवत्ता की निगरानी करने हेतु समुदायों को सशक्त बनाने के लिए, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह भी सलाह दी गई है कि वे ग्राम स्तर पर फील्ड टेस्ट किट (एफटीके)/बैक्टीरियोलॉजिकल शीशियों का उपयोग करके जल गुणवत्ता परीक्षण करने हेतु प्रत्येक गांव में व्यक्तियों, अधिमानतः महिलाओं की पहचान करें और उन्हें प्रशिक्षित करें तथा डब्ल्यूक्यूएमआईएस पोर्टल पर इसकी सूचना दें।

(घ) पेयजल राज्य का विषय है और पेयजल आपूर्ति योजनाओं/परियोजनाओं की आयोजना, डिजाइन, अनुमोदन और कार्यान्वयन का अधिकार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के पास है। जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी पेयजल आपूर्ति योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए नीतिगत मार्गदर्शन वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है।

जल राज्य का विषय होने के कारण, जल संसाधनों के संवर्धन, संरक्षण और कुशल प्रबंधन के लिए कदम प्राथमिक रूप से संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उठाए जाते हैं। जेजेएम के तहत, पेयजल स्रोत विकास/सुदृढ़ीकरण/संवर्धन और गांव में जल आपूर्ति अवसंरचना के सृजन के अलावा, जल की कमी वाले सूखा-प्रवण तथा भरोसेमंद भूजल स्रोतों से रहित रेगिस्तानी क्षेत्रों में जल के थोक अंतरण के लिए अवसंरचना, शोधन और संवितरण प्रणालियों के लिए प्रावधान किए गए हैं।

पेयजल सुरक्षा प्राप्त करने के लिए, प्रत्येक गांव को एक ग्राम कार्य योजना तैयार करनी होती है, जिसमें ग्रामीण स्तर पर अन्य योजनाओं जैसे कि ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी)/पीआरआई को वित्त आयोग से सशर्त अनुदान, एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी), राज्य योजनाएं, जिला खनिज विकास निधि, सीएसआर निधि, सामुदायिक अंशदान, आदि के तालमेल में पेयजल स्रोतों का संवर्धन तथा सुदृढ़ीकरण करना शामिल है।

*****